समस्त पत्र–व्यवहार रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या : GA-4113
दिनांक 25/02/19

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
संयुक्त लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषयः– राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा महाविद्यालयों में आपदा प्रबंधन के विषय पर दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्रांक संख्या–भा0स0 55/सत्तर –3–2018 दिनांकः 12.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र अर्द्व0 शा0 पत्र सं0–05/52/2018/NDMA/CBT, दिनांक 22.11.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

इस सम्बन्ध में आप से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक यथोपरि।

(एस0 के0 शुक्ल)
कुलसचिव

संख्या– .... दिनांकः ....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. निजी सचिव मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ ।
02. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति, मा0 प्रतिकुलसचिव जी के सूचनार्थ।
03. निजी सचिव कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
04. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित की पत्र एवं संलग्नक समस्त प्राचार्य/प्राचार्या संयुक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपकुलसचिव

1

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध।

संख्या—भा0स055 / सत्तर—3—2018

12 DEC 2018
369

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2— निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक: 12, दिसम्बर, 2018

विषयः— राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा महाविद्यालयों में आपदा प्रबंधन के विषय पर दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री आर0के0 जैन, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के अर्द्ध0शा0पत्र सं0—05 / 52 / 2018 / NDMA / CBT, दिनांक 22.11.2018 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उठाये गए बिन्दुओं का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीया,

मधु जोशी

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

SW
क्र0 कार्यवाही हेतु

(2)

शीघ्र प्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1.कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश ।
2.समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक : डिग्री विकास/ 15604 /2018-19 दिनांक : 19-12-2018

विषय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन द्वारा महाविद्यालयों में आपदा प्रबन्ध के विषय पर दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या – भ0स055/सत्तर–3–2018 दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–05/52/2018/NDMA/CBT दिनांक 22 नवम्बर 2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन महाविद्यालयों में किये जाने का निर्देश दिया गया है ।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में भारत सरकार के पत्र दिनांक 22 नवम्बर 2018 में निर्देशित किये गये समस्त बिन्दुओं पर बिन्दुवार कार्यक्रम आयोजित कराकर कृत कार्यवाही की संकलित सूचना निदेशालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

डॉ0 (दिलीप कपूर)
संयुक्त निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या– डिग्री विकास/ /तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

डॉ0 (दिलीप कपूर)
संयुक्त निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, प्रयागराज।

(3)

आर.के. जैन, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)
सदस्य
R. K. JAIN, IAS (Retd.)
Member

No. 12795/MS/GI/2018

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Disaster Management Authority

DO.No.05/52/2018/NDMA/CBT

Dated: 22nd November 2018

Dear Anup,

Hon'ble Prime Minister chaired the sixth meeting of National Disaster Management Authority (NDMA) at New Delhi on 18th October, 2018 to review the activities of NDMA.

2. During discussion in the meeting, Hon'ble Prime Minister emphasized on the need for better coordination among stake-holders and desired that the following steps be taken immediately for the schools:

(a) Fire fighters should go to schools and conduct demonstration exercises and give lectures.

(b) In Districts, essay competition and oratorical competition should be conducted for children. Essays in schools examination should be introduced on the topic of "Disaster Management".

(c) The selection of sites for construction of schools and other essential public facilities should be based on a condition of minimal threat from disasters.

3. I therefore request you to issue necessary directions to all concerned to ensure compliance with the above directions of Hon'ble Prime Minister.

With regards,

Yours sincerely,

(R.K. Jain)

Shri Anup Chandra Pandey
Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lal Bahadur Shastri Bhavan,
UP Secretariat,
Lucknow -226001